राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13356/2024

जोरावर सिंह राठौर पुत्र मंगल सिंह, उम्र लगभग 76 वर्ष, निवासी - ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा, तहसील- मारवाड़ जंक्शन, जिला- पाली (राज.).

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली, जिला- पाली, राज.
3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा, तहसील- मारवाड़ जंक्शन, जिला- पाली (राज.). ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री एस.के. श्रीमाली

श्री मयंक राजपुरोहित

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री मनीष पटेल, एएजी

श्री कुलदीप सोलंकी के साथ

माननीय सुश्री. जस्टिस रेखा बोराना

<u>आदेश</u>

<u>03/09/2024</u>

1. वर्तमान रिट याचिका दिनांक 29.07.2024 की अधिसूचना (अनुलग्नक 4) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत नवगठित ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा के लिए प्रशासक नियुक्त करने की मांग की गई है।

2. तथ्य यह है कि दिनांक 31.05.2022 की अधिसूचना के तहत 'मारवाड़ जंक्शन' नामक एक नई नगर पालिका का गठन किया गया और ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द से दो गांव हेमलियावास खुर्द और हेमलियावास कलां को उक्त नवगठित नगर पालिका में शामिल किया गया। इससे पहले, ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द में पांच गांव शामिल थे, जिनमें से दो को नवगठित नगर पालिका में शामिल किया गया था। इसलिए, ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द में तीन गांव करोलिया, रेवाडिया और नरसिंहपुरा रह गए और इसलिए, ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम 'ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा' रखा गया। उक्त उद्देश्य के लिए, दिनांक 25.07.2023 की अधिसूचना जारी की गई।

3. अधिसूचना दिनांक 25.07.2023 द्वारा ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा के गठन के पश्चात ग्राम पंचायत के पूर्ववर्ती सदस्य कार्य करते रहे। तथापि, लगभग एक वर्ष की अवधि के पश्चात अधिसूचना दिनांक 29.07.2024 (अनुलग्नक 4) द्वारा ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा के विकास अधिकारी को नवगठित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के चुनाव एवं उनकी प्रथम बैठक तक प्रशासक नियुक्त

करने की मांग की गई है। उक्त अधिसूचना दिनांक 29.07.2024 ही वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना दिनांक 29.07.2024 पारित करते समय जिस अधिकार का प्रयोग करने की मांग की गई है, वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे आगे '1994 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 95 एवं 101 के अनुसार परिलक्षित होता है। हालांकि, उक्त प्रावधानों में से कोई भी ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के मामले में प्रशासक की नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 25.07.2023 और 29.07.2024 की अधिसूचना के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत हेमलियावास का पुनर्गठन किया गया है और इसका नाम बदलकर 'ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा' कर दिया गया है। ग्राम पंचायत हेमलियावास को कभी भंग नहीं किया गया था, जो अधिनियम 1994 की धारा 101 के प्रावधानों के लागू होने के लिए अनिवार्य है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत के भंग न होने के कारण, अधिनियम 1994 की धारा 101(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग राज्य प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकता था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अन्यथा भी, यदि राज्य प्राधिकरणों की मंशा एक नया निकाय गठित करने की होती, तो अधिसूचना दिनांक 25.07.2023 के छह महीने की अवधि के भीतर उक्त उद्देश्य के लिए चुनाव कराए जाने चाहिए थे। उक्त समय अवधि के भीतर चुनाव नहीं कराए जाने के कारण, उक्त समय बीत जाने के बाद प्रशासक की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि चुनाव, जो भी हो, आज तक अधिसूचित भी नहीं किए गए हैं और इसलिए, राज्य प्राधिकरणों की मंशा किसी तरह से निर्वाचित प्रतिनिधियों को काम करने से रोकना है।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि प्रशासक की नियुक्ति मौजूदा पंचायत के भंग होने का एक स्वाभाविक परिणाम है। उन्होंने कहा कि अधिनियम 1994 की धारा 95 के अनुसार, पंचायती राज संस्था की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन प्रशासक द्वारा किया जाना, 1994 के अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था के भंग होने का पहला परिणाम है। इसके अलावा, धारा 101(2) के प्रावधान के अनुसार, जहां पंचायत भंग हो जाती है, वहां प्रशासक की नियुक्ति अनिवार्य है। इसलिए, 29.07.2024 की अधिसूचना पूरी तरह से वैध है और अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुरूप है।

7. अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान एएजी ने तुलसी राम मुंड एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया; 2010 (2) डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) 112 = आरएलडब्ल्यू 2010 (1) राज. 760।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया। 9. जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या वर्तमान मामला ग्राम पंचायत के विघटन का है अथवा पुनर्गठन का? अधिसूचना दिनांक 25.07.2023 में नई पंचायत नरसिंहपुरा का उल्लेख "पनर्गठी त / पनरसी मांकी त / नव जी त ग्राम पंचायत ए नाम" के रूप में किया गया है। अर्थात् अधिसूचना में वर्तमान को पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/ नवगठित ग्राम पंचायत बताया गया है। उक्त अधिसूचना अथवा दिनांक 29.07.2024 की अधिसूचना में भी पंचायत समिति के विघटन की बात नहीं कही गई है। वर्तमान मामले में जो किया गया है वह यह है कि मौजूदा ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द में से दो गांवों को बाहर करके नवगठित नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन में शामिल कर दिया गया है। अतः उक्त कार्यवाही

स्पष्ट रूप से अधिनियम 1994 की धारा 101 (1) (घ) के अंतर्गत आती है, जिसमें उक्त शर्त निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है:

> "101. पंचायती राज संस्था की सीमाओं में परिवर्तन (1) राज्य सरकार किसी भी समय, निर्धारित तरीके से प्रकाशित एक महीने के नोटिस के पश्चात या तो स्वयं या इस संबंध में किए गए अनुरोध पर, तथा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा (क) किसी नगरपालिका की सीमाओं में सम्मिलित किसी स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग को पंचायत सर्किल घोषित कर सकती है; या (ख) किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग को या, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य पंचायत सर्किल की सीमाओं में सम्मिलित किसी स्थानीय क्षेत्र को पंचायत सर्किल में सम्मिलित कर सकती है; या (ग) किसी पंचायत सर्किल को किसी अन्य पंचायत सर्किल में समाहित करके या किसी पंचायत सर्किल को दो या अधिक पंचायत सर्किल में विभाजित करके किसी पंचायत सर्किल की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकती है; या (घ) किसी स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग को पंचायत सर्किल से बाहर कर सकती है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र न रह जाए या, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य पंचायत सर्किल की सीमा में शामिल हो जाए।

10. अधिनियम 1994 की धारा 101 (1) के अंतर्गत की गई किसी कार्रवाई के अनुसरण में परिणामी कार्रवाई अधिनियम 1994 की धारा 101 (2) में निर्धारित की गई है। अधिनियम 1994 की धारा 101 (2) में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

"101. पंचायती राज संस्था की सीमाओं में परिवर्तन (2) उपधारा (1) के अंतर्गत की गई किसी कार्रवाई पर, राज्य सरकार, इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, निम्नलिखित के लिए प्रावधान करेगी, अर्थात्: (क) कि, उस उपधारा के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामले में, पंचायत सर्किल घोषित स्थानीय क्षेत्र के लिए एक पंचायत स्थापित की जाएगी; या (ख) कि, उस उपधारा के खंड (ख) के अंतर्गत आने वाले मामले में, अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र के लिए सदस्यों का चुनाव किया जाएगा; या (ग) कि उस उपधारा के खंड (ग) के अंतर्गत आने वाले मामले में विद्यमान पंचायतें विघटित हो जाएंगी तथा नियत दिन से छह महीने की अवधि के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई पंचायतें गठित की जाएंगी; या (घ) कि खंड (घ) के अंतर्गत आने वाले मामले में पंचायत विघटित हो जाएगी या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार की राय में पंचायत सर्किल से बाहर रखे गए स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हटा दिए जाएंगे: बशर्ते कि जब तक खंड (क) या खंड (ग) के अंतर्गत पंचायत या नई पंचायत स्थापित नहीं हो जाती, तब तक पंचायत की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन ऐसे प्रशासक द्वारा किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार इस संबंध में नियुक्त करे: बशर्ते कि खंड (ख) में निर्दिष्ट सदस्यों की किसी रिक्ति के कारण पंचायत का कोई कार्य अवैध नहीं माना जाएगा।

11. उपरोक्त प्रावधान का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रावधान, जिसमें प्रशासक की नियुक्ति निर्धारित की गई है, अधिनियम 1994

की धारा 101(1) के खंड (क) और (ग) को ही संदर्भित करता है। इसका अर्थ यह है कि यदि धारा 101(1)(क) और (ग) के अनुसार कोई कार्रवाई की जाती है, तो धारा 101(2) का प्रावधान लागू होगा। अर्थात्, ऐसे मामलों में जहां नगरपालिका का पूरा या उसका कोई भाग पंचायत सर्किल में शामिल है या ऐसे मामलों में जहां एक पंचायत सर्किल की सीमाएं एक पंचायत सर्किल को दूसरे में मिलाकर या एक पंचायत सर्किल को दो या अधिक पंचायत सर्किल में विभाजित करके बदली जाती हैं; पंचायत की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और निष्पादन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा उस अवधि तक किया जाएगा जब तक कि अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार पंचायत या नई पंचायत स्थापित नहीं हो जाती।

12. स्पष्ट रूप से, वर्तमान मामला ऐसा नहीं है। वर्तमान अधिनियम 1994 की धारा 101(1)(ए) और (सी) द्वारा शासित है। वर्तमान निश्चित रूप से अधिनियम 1994 की धारा 101(1)(डी) द्वारा शासित होगा और इसलिए ऊपर उल्लिखित प्रावधान भी लागू नहीं होगा।

13. जहां तक अधिनियम 1994 की धारा 101(1)(डी) के अनुसार की गई किसी भी कार्रवाई का संबंध है, यह निश्चित रूप से धारा 101(2)(डी) द्वारा शासित होगी, जो यह प्रावधान करती है कि पंचायत सर्किल से बाहर रखे गए स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हटा दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि मौजूदा ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द से बाहर रखे गए दो गांवों से संबंधित प्रतिनिधियों को, यदि कोई हो, केवल हटाया जा सकता था। हालांकि, पूरी ग्राम पंचायत भंग नहीं हुई है; और एक नई ग्राम पंचायत पहले ही ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा के रूप में पुनर्गठित हो चुकी है, प्रावधान के अनुसार किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

14. इसके अलावा, भले ही यह मान लिया जाए कि प्रशासक नियुक्त किया जाना था, लेकिन उसे केवल उन मामलों में नियुक्त किया जाना था, जहां नई पंचायत का गठन नहीं हुआ था। इस प्रकार, रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट है कि अधिसूचना दिनांक 25.07.2023 के अनुसार, ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा का पहले ही पुनर्गठन किया जा चुका था। इसलिए, यह पंचायत के गठन न होने का मामला भी नहीं है, जिसके लिए धारा 101 (2) के प्रावधान के अनुसार अधिकार का प्रयोग करना भी आवश्यक था।

15. जहां तक तुलसी राम मुंड (सुप्रा) के मामले में निर्धारित अनुपात का संबंध है, इस कानून की स्थिति के बारे में कोई विवाद नहीं है कि जहां पंचायत स्थापित की जाती है, वहां राज्य सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त किया जाना चाहिए, जो कि अधिनियम 1994 की धारा 101 की उपधारा (1) के खंड (ए) या अधिनियम 1994 की धारा 101 की उपधारा (1) के खंड (सी) के अनुसार हो। हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामला इन दोनों प्रावधानों में से किसी के द्वारा शासित नहीं है और इसलिए, उक्त अनुपात भी वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा।

16. उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, अधिसूचना दिनांक 29.07.2024 (अनुलग्नक 4) पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है और अधिनियम 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है और इसलिए इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है।

17. इसलिए, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

18. स्थगन याचिका और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(रेखा बोराणा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।